



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0-145/2019 धारा-452,354क आईपीसी एवं 8 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर जितेन्द्र यादव पुत्र देवीदीन यादव उर्फ देवीचरन निवासी टोलामाफ, थाना सिसोलर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी अवधनरेश  
चन्देल



विवेचक-  
उ0नि0 दारा सिंह



पैरोकार- थाना सिसोलर  
हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा